

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.रा.न्या.से.) अवकाश / 1168 / 2022

दिनांक : 04.04.2022

श्री उपेन्द्र शर्मा (RJ1017), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II को दिनांक 18.04.2022 से 20.04.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.04.2022 से 15.04.2022 व 17.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.04.2022 के ऐच्छिक अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
06-04-22
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / 05 / 2016 / 2675

दिनांक : 06.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 11 दिनांक 28.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री उपेन्द्र शर्मा (RJ1017), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II

6.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार